फर्द अहकाम
(नियम 26)

2025/249

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री मनोहरसिंह देवड़ा निवासी बागसीन तहसील शिवगंज जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 43 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
01.09.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज को दिनांक 27.07.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत बागसीन पटवार कार्यालय बागसीन तहसील शिवगंज जिला सिरोही में वर्ष 1989–90 में पटवार हल्का बागसीन के खसरा संख्या 248 की जमीन पर श्री लाबुसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह राजपूत की 4 बीघा भूमि पर अवैध काश्त (धारा 91) का कब्जा था, जिस पर उक्त किसान द्वारा जुर्माना राशि देकर खेती की जाती थी। वर्तमान में यह जमीन किसके पास है। यदि किसी के नाम दर्ज हुई है तो कब दर्ज हुई। उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज को दिनांक 27.07.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत बागसीन पटवार कार्यालय बागसीन तहसील शिवगंज जिला सिरोही में वर्ष 1989–90 में पटवार हल्का बागसीन के खसरा संख्या 248 की जमीन पर श्री लाबुसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह राजपूत की 4 बीघा भूमि पर अवैध काश्त (धारा 91) का कब्जा था, जिस पर उक्त किसान द्वारा जुर्माना राशि देकर खेती की जाती थी। वर्तमान में यह जमीन किसके पास है। यदि किसी के नाम दर्ज हुई है तो कब दर्ज हुई। उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर ए इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही